न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 30 सन 2020
अनवान :–

1. राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तसहील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 15/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 87/91 के प0न0 312/397(1) किला न0 12 ता 19 ,22 ता 24 की कुल 3.0360हैक भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार दर्ज है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजेराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजाराम पुत्र रामचन्द्र है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही हो रही है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारी का हनन होता है सायल राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 87/91 के प0न0 312/397(1) किला न0 12 ता 19 ,22 ता 24 की कुल 3.0360हैक भूमि में प्रार्थी का नाम राजेराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान राजाराम पुत्र रामचन्द्र संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है । जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 87/91 के प0न0 312/397(1) किला न0 12 ता 19 ,22 ता 24 की कुल 3.0360हैक भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार दर्ज है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय उच्चारण के कारण राजेराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम राजाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रामचन्द्र है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही हो रही है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारी का हनन होता है सायल राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 87/91 के प0न0 312/397(1) किला न0 12 ता 19 ,22 ता 24 की कुल 3.0360हैक भूमि में प्रार्थी का नाम राजेराम पुत्र रामचन्द्र के स्थान राजाराम पुत्र रामचन्द्र संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किय चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 87/91 के प0न0 312/397(1) किला न0 12 ता 19 ,22 ता 24 की कुल 3.0360हैक भूमि दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में सायल का नाम राजेराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है सायल का कथन है कि उसका सही नाम राजाराम पुत्र रामचन्द्र है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड , आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र ,आदि पेश किये गये है जिसमें प्रार्थी का नाम राजाराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है तथा प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में ग्राम पंचायत जसाना का प्रमाण पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी को दो नाम राजेराम एवं राजाराम दोनो से पुकारा जाता हे सही नाम राजाराम पुत्र रामचन्द्र है सहवन से राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है जो संशोधन योग्य है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों/पेराकार राज के जबाब एवं ग्राम पंचायत जसाना के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 87/91 के प0न0 312/397(1) किला न0 12 ता 19 ,22 ता 24 की कुल 3.0360हैक में सायल का नाम राजेरम पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर राजाराम उर्फ राजेराम पुत्र रामचन्द्र संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2022को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 1364RA/30 दिनांक :– 15-12-20

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 30 / 2020 अनवानी राजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तसहील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 30 / 2020 अनवानी राजाराम बनाम सरकार में दिनांक 15/12/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 87 / 91 के प0न0 312 / 397(1) किला न0 12 ता 19 ,22 ता 24 की कुल 3.0360हैक में सायल का नाम राजेराम पुत्र रामचन्द्र दर्ज है के स्थान पर राजाराम उर्फ राजेराम पुत्र रामचन्द्र संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर